

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/7200

दिनांक - 12-12-23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गुमनाराम 2 गोमाराम 3 जोधाराम
पिसरान हरखाराम 4 जमनादेवी
पत्नी हरखाराम जाति जाति भील
निवासी चवा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।


1 पूराराम पुत्र शंकराराम 2 गेनाराम पुत्र खेताराम 3
भूराराम पुत्र नारणाराम 4 ओमाराम पुत्र मोहनराम 5
मानाराम पुत्र पेमाराम जाति भील निवासी चवा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 199/2023

दिनांक-

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चवा पटवार क्षेत्र चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 1134/246 रकबा 4.3220 हैक्टेयर व खसरा संख्या 245 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि
के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन
व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार
पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक - 12-12-2023

क्रमांक :- रीडर/2023/7201 to 7204

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गुमनाराम पुत्र हरखाराम वगैराह जाति भील निवासी चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पूराराम पुत्र शंकराराम वगैराह जाति भील निवासी चवा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर